



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-22042020-219097
CG-DL-W-22042020-219097

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, मार्च 22—मार्च 28, 2020, शनिवार / चैत्र 2—चैत्र 8, 1942
No. 12] NEW DELHI, MARCH 22—MARCH 28, 2020, SATURDAY/CHAITRA 2—CHAITRA 8, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

सा.का.नि. 78.— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्वोत्तर परिषद्, सचिवालय, शिलांग (आशुलिपिक ग्रेड-III) भर्ती नियम, 2005 का अधिक्रमण करते हुए, परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थगित बातों को छोड़कर, राष्ट्रपति एतद्वारा पूर्वोत्तर परिषद्, सचिवालय शिलांग में आशुलिपिक ग्रेड-II और आशुलिपिक ग्रेड-III के पदों पर भर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, (आशुलिपिक ग्रेड-II और आशुलिपिक ग्रेड-III) वर्ग 'ग' भर्ती नियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम, संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.— उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा-विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

4. भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता आदि.— उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

5.अनर्हतात्.— जिसने,—

(क) किसी ऐसी महिलाएं/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों, या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो,

वह पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और भी केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. शिथिल करने की शक्ति.— जहाँ केंद्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहाँ लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन आव्यूह में	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति पाने वालों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक ग्रेड-III	*8(2020) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अन्तर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ग' (अराजपत्रित), सचिवीय	लेवल-4 25500-81100	लागू नहीं	आयु-सीमा 18-27 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों को आयु में 40 वर्ष तक छूट का प्रावधान)

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति पाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती प्रणाली: सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएं (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालयों द्वारा 12वीं या इसके समतुल्य उत्तीर्ण। (ii) आशुलेखन: 10 मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट की दर से। प्रतिलेखन: 50 मिनट (अंग्रेजी) कम्प्यूटर पर।	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती। नोट: पदाधिकारियों के प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य किसी परिस्थिति में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए हुई रिक्ति को केंद्र सरकार में नियमित आधार पर समान पद धारण करने वाले और कॉलम 7 अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताएं रखने वाले कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है।

यदि भर्ती, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?	जिन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	वर्ग 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे— 1. निदेशक (प्रशासन) या उप सचिव (प्रशासन) — अध्यक्ष उत्तर-पूर्वी परिषद् सचिवालय, शिलांग 2. नियंत्रक या उप नियंत्रक या सहायक लेखा नियंत्रक, — सदस्य क्षेत्रीय वेतन और लेखा कार्यालय (खुफिया ब्यूरो), शिलांग 3. वरिष्ठ निजी सचिव, उत्तर-पूर्वी परिषद् सचिवालय, — सदस्य शिलांग	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है।

[फा. सं. एनईसी/एडीएम/39/2013]

एल. बेमोफा, उप-सचिव (प्रशासन)

Shillong, the 26th February, 2020

G.S.R. 78.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong, (Stenographer Grade II and Stenographer Grade III), Group 'C' Recruitment Rules, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade - III in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :-

1. **Short title and commencement** .— (1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Stenographer Grade – III (Group 'C') Post Recruitment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of posts, classification and level in pay matrix** .— The number of posts, its classification, Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** .—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualification.**—No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post :
Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade - III	08* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Level 4 (Rs. 25500 – 81100/-)	Not applicable	Between eighteen and twenty - seven years of age. (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time-to-time.) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through the Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed

					for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti districts and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union Territory of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.)
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential : (i) 12 th class or equivalent qualification from a recognised Board or University. (ii) Dictation : 10 minutes @ 80 w.p.m. Transcription : 50 minutes (English) on computer.	Not applicable	Two years for direct recruits	Direct Recruitment through Staff Selection Commission. Note – Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from officers of Central Government or State Governments or Union Territories or statutory organizations holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 7.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : 1 Director (Administration) or Deputy Secretary (Administration), North Eastern Council Secretariat, Shillong. : Chairman 2 Controller or Deputy Controller or Assistant Controller of Accounts, Regional Pay and Accounts Office (Intelligence Bureau), Shillong. : Member 3 Senior Private Secretary , North Eastern Council Secretariat, Shillong. : Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. NEC/ADM/39/2013]

L. BEIMOPHA, Dy. Secy. (Admn.)